

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना देवगाव

फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार दर्ज हुआ मुकदमा

दिनांक 21.02.2023 को प्रातः पाली में हाईस्कूल गणित विषय की परीक्षा के दौरान श्री कृष्ण गीता रा० इ०का० लालगंज, आजमगढ़ परीक्षा कक्ष में आकस्मिक निरीक्षण पर आये तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा तीन ऐसे परीक्षार्थी पकड़े गये जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पाये गये।

जिनका विवरण निम्नवत है- वास्तविक परीक्षार्थी का नाम 1.मो० सलाहिन व क्षत्र परीक्षार्थी अरविन्द विश्वकर्मा ग्रा.पो. माधोपुर धरांग, आजमगढ़,

2- वास्तविक परीक्षार्थी विशाल, छद्म परीक्षार्थी मुकेश निषाद S/o चन्द्रदेव निषाद ग्रा. बम्मावन थाना गद्दी जौनपुर,

3. वास्तविक परीक्षार्थी आदित्य मौर्य छद्म परीक्षार्थी सुनील कुमार S/o धर्मेन्द्र कुमार व्यवहरा, लालगंज, आजमगढ़ को श्री कृष्ण गीता इण्टर कालेज आजमगढ़ से पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- मो० सलाहिन पता अज्ञात,

2- विशाल, पता अज्ञात,

3- आदित्य मौर्य 1 पता अज्ञात

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 75/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 3,6,9,10 परीक्षा अधि०

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

मजिस्ट्रेट (स्टैटिक) डा० प्रमोद कुमार सिंह s/o स्व० रामलखन सिंह ग्रा० व पो० हिसामपुर जि० जौनपुर

थाना जहानागंज

नाबालिक को बहला फुसलाकर बलात्कार करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

1.थाना स्थानीय के वादी द्वारा थाना जहानागंज पर दिनांक 14.002.2023 को तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग लड़की उम्र 15 वर्ष को संदीप पुत्र रामचरन राम ग्राम काजीपुर व रामचरन रान पुत्र जीता ग्राम काजीपुर पोस्ट बडहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है के तहरीर पर मु०अ०सं० 83/2023 धारा 363/366 भादवि बनाम 1. संदीप पुत्र रामचरन राम ग्राम काजीपुर व रामचरन रान पुत्र जीता ग्राम काजीपुर पोस्ट बडहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसमें अपृहता के 161 व जन्मतिथि प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

2. थाना स्थानीय के वादिनी द्वारा थाना जहानागंज पर दिनांक 14.02.2023 को तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष को 1. साहिल राम S/O बेंचू राम व बेंचू राम S/O दर्शन राम ग्राम मोहिद्दीनपुर पोस्ट बडहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है के तहरीर पर मु०अ०सं० 84/2023 धारा 363/366 भादवि बनाम 1. साहिल राम S/O बेंचू राम व बेंचू राम S/O दर्शन राम ग्राम मोहिद्दीनपुर पोस्ट बडहलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसमें अपृहता के 161 व जन्मतिथि प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दोन विवेचना उ०नि० सीताराम द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण:

विवेचना के क्रम में उ०नि० सीताराम मय हमराह म०का० शिखा तिवारी व म०का० संजू कुशवाहा के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, व पेंडिंग विवेचना तथा तलाश वांछित/वारंटी, से मु०अ०सं० 83/23 व मु०अ०सं० 84/2023 धारा 363, 366,376 IPC व 3/4 पास्को एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु०अ०सं० 83/2023 से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र रामचरन राम निवासी ग्राम काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष व मु०अ०सं० 84/2023 से सम्बन्धित अभियुक्त साहिल राम पुत्र बेंचू राम ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद- आजमगढ़ उम्र 22

वर्ष अपहृता के साथ भुजहीं पुलिया के पास खडे है कहीं जाने की फिराक में जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते हैं। तत्पश्चात मुखबीर खास को लेकर भुजहीं पुलिया पहुंचा तो मुखबिर खास द्वारा इशारा किया गया कि यही चारों लडकी लडका हैं अतएव करीब जाकर पुछताछ किया गया तो इत्मिनान हो गया कि यही उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त एवं अपहृता है। अतः अपहृता को बरामद कर म0का0 की सुपुर्दगी में दिया गया तथा अभियुक्तगण संदीप व साहिल उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 8.15 बजे भुजहीं पुलिया के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त साहिल राम के पिता बेचू राम को मोबाईल नं0 9161182549 पर व अभियुक्त सन्दीप के सम्बन्ध में सूचना उसके पिता रामचरन को मो0 नं0 7617052146 पर दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ विवरण— 1.अभियुक्त संदीप पुत्र रामचरन राम निवासी ग्राम काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बदरियापत पूछताछ से जूर्म से इंकार करते हुए सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।

2.अभियुक्त साहिल राम पुत्र बेचू राम ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद- आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बदरियापत पूछताछ से जूर्म से इंकार करते हुए सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग:- 1.मु0अ0सं0 83/23 धारा 363, 366,376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट 2.मु0अ0सं0 84/2023 धारा 363, 366,376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.संदीप पुत्र रामचरन राम निवासी ग्राम काजीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21

2. साहिल राम पुत्र बेचू राम ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद- आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास --निल

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- उ0नि0 श्री सीताराम थाना जहानागंज आजमगढ़

2- म0का0 शिखा तिवारी थाना जहानागंज आजमगढ़

3.म0का0 संजू कुशवाहा थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- तरवा

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)–

अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बमबम राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर सा0 महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध 680 ग्राम गांजा बरामद पाया जाना

2. गिरफ्तारी की विवरण-

अपराध एवं अपराधियो/ अवैध गांजा के अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुराग आर्य द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक नगर व *क्षेत्राधिकारी महोदय लालगंज * व थानाध्यक्ष श्री बसन्त लाल के नेतृत्व में आज दि0 22.02.23 को मै उ0नि0 नागेश चौधरी प्रभारी चौकी पकड़ी मय हमराह हे0का0 श्याम सिंह यादव के रवाना शुदा रो0आम तारिखी इमरोजा से बाद परीक्षा सेन्टर/ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग डुभावपुर पर मौजूद था कि जरिये मुखबीर खास द्वारा सूचना कि एक व्यक्ति अवैध गाजा लेकर पल्हना के तरफ भरथीपुर आने वाला है उसका भरथीपुर में पान का दुकान है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके मै उ0नि0मय हमराही के साथ प्रस्थान कर ग्राम भरथीपुर चौहारे पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति सफेद झोले में गाजा लिये हुए आ रहा था। पूछ ताछ करने पर अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बमबम राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर सा0 महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से अवैध 680 ग्राम गांजा बरामद पाया जाना। जिसके सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 39/22 धारा 820 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए समय करीब 10.30 बजे ग्राम भरथीपुर से हिरासत पुलिस मे लिया गया, गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

4. पूछताछ का विवरण- I. अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ बमबम राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर सा0 महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अपना जुर्म स्वीकार कर अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।

6. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 39/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तरवा आजमगढ़

7. आपराधिक इतिहास- चन्द्रशेखर उर्फ बमबम राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर सा0 महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़

1.मुं.अ.सं. 39/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तरवा आजमगढ़

8. गिरफ्तार अभियुक्त

1. चन्द्रशेखर उर्फ बमबम राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर सा0 महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ।
9. बरामदगी- अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 680 ग्राम अवैध गांजा बरामद पाया जाना
10. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO श्री बसन्त लाल के नेतृत्व में उ0नि0 नागेश चौधरी मय हमराह हे0का0 श्याम सिंह यादव

थाना देवगाव

अवैध गांजा , नाजायज चाकू के साथ सातिर चोर गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 22.02.2023 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी गायत्री मोड़ पर मौजूद था तभी हे0का0 संजय कुमार दूबे आकर मिले हम लोग आपस में अपराध एवं अपराधियों व वांछित अभियुक्त के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे तभी एक व्यक्ति मेहनाजपुर की तरफ से मोटरसाईकिल से आता हुआ दिखाई दिया और हम पुलिस वालों को देखकर अपनी मोटरसाईकिल मोड़कर मेहनाजपुर की तरफ भागने लगा कि शंका होने पर मैं उ0नि0 मय हमराह हे0का0 संजय कुमार दूबे के मोटरसाईकिल से पीछा कर लगभग 100 कदम जाते जाते घेरकर पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह निवासी लहुआकला(बसही) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष बताया पूछने पर भागने के सम्बन्ध में बता रहा है कि साहब मेरे पास मोटरसाईकिल की डिग्गी में गांजा है और मेरे पास चाकू भी है, पकड़े जाने के डर से भाग रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया है पकड़े गये व्यक्ति रिशू सिंह उपरोक्त को यह बताया गया कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं तो अभियुक्त ने बताया कि साहब जब आपने पकड़ ही लिया है तो आप पर पूर्ण विश्वास है आप ही हमारी जामा तलाशी ले लीजिए । जब पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने फेट से एक अदद चाकू लोहे का बरामद हुआ तथा बायीं जेब से एक हजार रूपया 500-500 सौ रूपये की दो नोट बरामद हुई जब गाड़ी की डिग्गी खोलकर चेक किया गया तो एक पालिथिन में गांजा बरामद हुआ जिसे सूंघा व सूंघाया गया तो गांजा जैसी गंध आ रही है । अभियुक्त से सहमति पत्र लिखवाकर बरामद गांजा व चाकू को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा हे0का0 संजय कुमार दूबे से इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगवाकर तौल कराया गया तो बरामद गांजा कुल 1 किलो 390 ग्राम है जिसमें से 50 ग्राम नमूना माल निकालकर बरामद गांजा को उसी पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े में रखकर तथा नमूना माल को एक काली पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा बरामद चाकू को कब्जा पुलिस में लिया गया जिसका हुलिया इस प्रकार है । बरामद चाकू की कुल लम्बाई 1 बालिस्त 5 अंगुल मुठिया 6 अंगुल, मुठिया लोहे की रिपिट से फाल से जुड़ा हुआ है को कब्जा पुलिस में लेकर एक कपड़े में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया । तथा बरामद रूपये के सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहा है कि साहब दिनांक 13.01.2023 की रात में मैं कामिल पुत्र नसिम 2. राजेश गौड़ पुत्र गुलाब गौड़ 3. शोहराब उर्फ जालिम पुत्र अली अहमद 4. कमलेश गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ निवासीगण बनारपुर थाना देवगांव के साथ मिलकर अपने गाँव के रजवन्त सिंह के पोखरे की मछली को जाल से निकाल लिये थे मछली को बेचने से हमको 2000 रूपया मिला था 1500 रूपये खाने पीने में खर्च कर दिया था और खाने पीने से 500 रूपया बचा है तथा जब और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बता रहा है कि दिनांक 27.01.2023 को मोहम्मदपुर के शैलेन्द्र कुमार सिंह का सबमर्सिबिल पम्प हम लोगो ने मिलकर चोरी कर लिया था उसी रात हम लोगो ने एक राहगीर को उक्त चोरी किये गये मोटर को 5000 रूपये में बेच दिया था हिस्से में हमको 1000 रूपये मिला था जिसमें खाने पीने में 500 रूपये खर्च हुआ था और यही 500 रूपये बचा था जो आप लोगो ने बरामद कर लिया है । तथा बता रहा है कि हमारे गाँव के रजवन्त सिंह द्वारा उनके पोखरे में हम लोगो द्वारा मछली मार लिये जाने के कारण पुलिस हम लोगो के घर बार बार दबिश दे रही थी तो दिनांक 04.02.23 को मैं अपने साथी कामिल पुत्र नसिम 2. राजेश गौड़ पुत्र गुलाब गौड़ 3. शोहराब उर्फ जालिम पुत्र अली अहमद 4. कमलेश गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ निवासीगण बनारपुर थाना देवगांव के साथ रजवन्त सिंह के घर जाकर एक लाख रूपया व मछली पालन करने के लिए उनके पोखरे की मांग किया था तथा न देने पर उनका व उनके परिवार वालों की हत्या की धमकी देकर हम लोग भाग गये थे । बरामद अवैध गांजा के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि साहब हम लोग गांजा बेचने के साथ साथ मौका मिलने पर चोरी भी कर लेते हैं यह मोटरसाईकिल मैंने गांजा बेचकर ही खरीदा है । तथा इसी से घूम घूम कर हम लोग गांजा भी बेचते हैं व चोरी भी करते हैं । उक्त मोटरसाईकिल सं0 UP50BV 0880 सुपर स्प्लेन्डर व बरामद गांजा रखने व लाने ले जाने के सम्बन्ध में कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा । तथा बरामद पाँच-पाँच सौ रूपये की दो नोट जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 11/2023 धारा 379 भा0द0वि0 विरुद्ध रिशू सिंह उपरोक्त के पंजीकृत है जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है तथा मु0अ0सं0 30/2023 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है । तथा पकड़े गये व्यक्ति व उसके साथी द्वारा दिनांक 04.02.2023 को रजवन्त सिंह व उनके परिवार को धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 45/2023 धारा 386 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत है जिसकी विवेचना मुझ उ0नि0 द्वारा सम्पादित की जा रही है । पकड़े गये व्यक्ति को यह बताया गया कि आपका यह कृत्य धारा 8/20 NDPS ACT व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है व अभियुक्त रिशू सिंह उपरोक्त को मु0अ0सं0 11/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 30/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 45/2023 धारा

386 भा0द0वि0 का बोध कराते हुए समय लगभग 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारी/बरामदगी के समय तमाम राहगीर आ गये जिनसे गवाही हेतु अनुरोध किया गया तो भलाई बुराई का वास्ता देकर बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया है। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा लिखकर पढ़कर हमराही कर्मचारी व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये थे।

गिरफ्तारी का स्थान व समय – गायत्री तिराहा लहुआ कला समय -10.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 22.02.2023 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह मय हंमराह हे0का0 संजय दूबे के रवाना शुदा रो0आ0 तारीखी द्विरोजा से मय गिरफ्तार शुदा 01 नफर अभियुक्त रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह निवासी लहुआकला(बसही) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ व बरामद शुदा 1 किलो 390 ग्राम अवैध गाजा व व एक अदद अवैध चाकू व एक हजार रूपया नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 11/21 धारा 379 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 30/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ मय नमूना मोहर मय एक किता फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के उपस्थित थाना हाजा आये अभियुक्त की बाद लिवाने जामा तलाशी समक्ष संतरी प्रहरी न बरामद होने कोई वस्तु अलावा पहने कपड़े के जिस्म जरवात ताजा चोटो से पाक साफ है खाने को कहा गया तो गमे गिरफ्तारी खाने से इंकार कर रहे है हस्व इच्छा खुराक दी जायेगी। हुलिया हस्व जैल है। हुलिया अभियुक्त 1. हुलिय अभियुक्त रिशू उपरोक्त एकहरा मजबूत जिस्म गंदूम रंग आख नाक कान कद औसत उम्र करीब 27 वर्ष कि अन्दर हवालात मर्दाना कर रिहायसी हेतु हवालाती कम्बल दिया गया ताला हवालात बन्द ठीक प्रहरी को दिखाया गया व बरामद शुदा माल को अन्दर मालखाना रखवाकर तालामालखाना बन्द ठीक संतरी प्रहरी को दिखाया गया। कि दाखिला फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह निवासी लहुआकला(बसही) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0 77/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह निवासी लहुआकला(बसही) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ दिनांक घटना 22.02.2023 समय 10.05 बजे दिनांक सूचना व समय कायमी रपट हाजा तारीखी इमरोजा घटनास्थल गायत्री मोड़ लहुआकला(बसही) बफासला 16 कि0मी0 पूरब बमुद्दयत वादी उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बनाम रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह निवासी लहुआकला(बसही) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बतपत्तीशी उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद के पंजीकृत किया गया। विस्तृत विवरण मुमदर्जा फर्द है। एफआईआर की नकल व नकल रपट सम्बन्धित विवेचक को दी जा रही है तथा जरिये दूरभाष भी अवगत कराया गया। तकमिला सम्बन्धित रजिस्ट्रान हो रहा है। डेली जरायम रवाना होगी। घटना के सम्बन्ध में सूचना जरिये उचित माध्यम अफसरान बाला को दी गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1 मु0अ0सं0 76/2023 धारा 8/20 NDPS ACT.

2. मु0अ0सं0 77/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बार बार अपने जुर्म की माफी मांग रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – बनाम 1. रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर सिंह सा0 लहुआ कला थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

रिशू सिंह उर्फ बुलबुल सिंह पुत्र स्व0 मुसाफिर उर्फ रामराज सिंह पता-लहुआ कला, देवगांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

14/16 धारा 41,411,414 भा.द.वि.

देवगांव

97/16 धारा 356 भा.द.वि. देवगांव

111/16 धारा 294,341,354,506 भा.द.वि. व 3(1)2 SC/ST Act

देवगांव

376/17 धारा 110G जा0फौ0 देवगांव

244/21 धारा 406/506 भा.द.वि. देवगांव

491/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट देवगांव

011/23 धारा 379 भा.द.वि. देवगांव

30/2023 धारा 379 भा0द0वि0 देवगाव

45/2023 धारा 386 भा0द0वि0 देवगाव

76/2023 धारा 8/20 ndps एक्ट देवगाव

77/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट देवगाव

घटनास्थल- भिन्न भिन्न

•बरामदगी- बरामदगी 1 किलो 390 ग्राम अवैध गाजा, एक अदद चाकू व एक हजार रूपया नगद गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री अजीत कुमार चौधरी , हे0का0 संजय दूबे

थाना बरदह

रंगदारी मांगले वाला 01 नफर अभि0 गरिफ्तार

1.पूर्व की घटना / इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण – श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे वांछित अभि0गणो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय जनपद आजमगढ के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के निर्देशन में आज दिनांक 21.02.23 को नि0अ0 शमशेर यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित, वारटी करते हुए ग्राम बडगहन तिराहे पर मौजूद था जरिये मुखविर सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 64/23 धारा 386/342 भादवि से संबंधित अभियुक्त राहुल गौतम पुत्र रामहरख सा0 अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ दुबरा नहर पुलिया के पास खडा है कही जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास पर मै नि0अ0 मय हमराह मय मुखविर खास के बडगहन तिराहे से प्रस्थान कर दुबरा बाजार पहुचा तो मुखविर खास नहर पुलिया से पहले रुककर नहर पुलिया के पास खडे एक व्यक्ति की ओर इशारा करके हट बढ गया कि मै नि0अ0 मय हमराह के मदद से उस व्यक्ति की ओर एकबारगी दविश देकर नहर पुलिया पर ही पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल गौतम पुत्र रामहरख गौतम सा0 अजाउर थाना बरदह आजमगढ चूकि अभि0 उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 64/23 धारा 386/342 भादवि का वाछित अभि0 है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 07.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।। तथा नियमानुसार पेश करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रवाना किया गया ।

3.पूछताछ का विवरण- निल

4.अपराध का तरीका- रंगदारी मांगना

5.पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 64/2023 धारा 386,342 थाना बरदह जनपद आजमगढ ।

6.आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 64/2023 धारा 386,342 भादवि थाना बरदह आजमगढ

7. गिरफ्तार अभियुक्त –

1- राहुल गौतम S/O रामहरख निवासी अजाउर थाना बरदह आजमगढ

8. बरामदगी- निल

9.पुलिस टीम-

शमशेर यादव (निरीक्षक अपरा) थाना बरदह जनपद आजमगढ

का0 सन्तोष यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ

का0 इंग्लेश यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ